रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263980
CG-DL-E-19062025-263980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2674] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947
No. 2674] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

का.आ. 2739(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा 'केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड' (पैन AACFK9819K), केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि अधिनियम, 1969 (केरल अधिनियम सं. 1969 का 22) के तहत गठित बोर्ड, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :

(क) केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि अधिनियम, 1969 (केरल अधिनियम सं. 1969 का 22) के तहत प्राप्त सभी राशियाँ;

(ख) केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि अधिनियम, 1969 (केरल अधिनियम सं. 1969 का 22) की धारा 2 के खंड (ख) में यथा परिभाषित सदस्यों से अंशदान;

(ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड' –

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति संपूर्ण वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 से 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 के लिए संगत होगी तथा कर निर्धारण वर्ष 2026-2027 के लिए लागू होगी और वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 65 /2025/फा. सं. 300196/4/2019-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2025

S.O. 2739(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Board' (PAN: AACFK9819K), a Board established under the Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969), in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:

(a) all sums received under Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969);

(b) contribution from the members as defined in clause (b) of section 2 of the Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969);

(c) interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Board'–

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-2023 to 2025-2026 relevant for the financial years 2021-2022 to 2024-2025 and shall be applicable for assessment year 2026-2027 relevant for the financial year 2025-2026.

[Notification No. 65/2025/F. No. 300196/4/2019-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263981
CG-DL-E-19062025-263981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2675] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947
No. 2675] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

का.आ. 2740(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा 'नियामकों का मंच' (पैन AAAJF0126G), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्या 36) की धारा 166 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित प्राधिकरण, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से प्राप्त सदस्यता शुल्क और

(ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि नियामकों का मंच –

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति संपूर्ण वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2011-2012 से 2015-2016 के लिए क्रमशः प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2012-2013 से 2016-2017 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 66 /2025 /फा. सं. 300196/33/2012-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह,उप सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2025

S.O. 2740(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Forum of Regulators' (PAN: AAAJF0126G), an authority constituted by Govt. of India, Ministry of Power, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 166 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) in respect of the following specified income arising to that authority, namely :-

(a) Grants received from the Government;

(b) Membership fees received from Central and State Electricity Regulatory Commissions and

(c) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Forum of Regulators: -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2011-2012 to 2015-2016 relevant to assessment years 2012-2013 to 2016-2017.

[Notification No. 66/2025/F. No. 300196/33/2012-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA